न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 157 सन 2022
अनवान :–

1. सुभाष चन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शारदा देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सिलोचना देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. समेश्ता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. आरजू पुत्री सुनिता नाबालिग जरिये पिता संरक्षक मोहनलाल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी खरराण्डी तहसील नोहर।
5. पायल पुत्री सुनिता नाबालिग जरिये पिता संरक्षक मोहनलाल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी खरराण्डी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 315/290 की कुल 10.2690हैक्ट में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 72/70 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है लालचन्द पुत्र सुलतान एवं उसकी पत्नीयों का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी की बहने एवं मृतक बहन के वारिसान है एवं लालचन्द पुत्र सुलतान की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की लालचन्द पुत्र सुलतान जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है लालचन्द पुत्र सुलतान एवं उसकी पत्नीयों का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/मामा वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 315/290 की कुल 10.2690हैक्ट में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 72/70 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है लालचन्द पुत्र सुलतान एवं उसकी पत्नीयों का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी की बहने एवं मृतक बहन के वारिसान है एवं लालचन्द पुत्र सुलतान की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 315/290 की कुल 10.2690हैक्ट में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 72/70 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है लालचन्द पुत्र सुलतान एवं उसकी पत्नीयों का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 315/290 की कुल 10.2690हैक्ट में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 72/70 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शारदा देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सिलोचना देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. सुमेश्ता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. आरजू पुत्री सुनिता नाबालिग जरिये पिता संरक्षक मोहनलाल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. पायल पुत्री सुनिता नाबालिग जरिये पिता संरक्षक मोहनलाल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2022 निर्णय दिनांक- 22/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 315/290 की कुल 10.2690हैक्ट में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 72/70 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner